

ठअ फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री काशीराम रावल

जाति रावल

निवासी रावल लेन पिण्डवाडा

जिला सिरौही।

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 45 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की उमिद में जारी हुए
17.05.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 12.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि प्रार्थी को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड ट्रस्ट की गर्वनिंग काउंसिल के अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों की प्रमाणित प्रति एवं इसके बॉयलोज की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। उपरोक्त सूचना जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सिरौही एवं खनिज विभाग सिरौही से सम्बन्धित होने से ए.डी.एम सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 44 दिनांक 15.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 72 दिनांक 19.01.2021 को प्रकरण उक्त दोनों कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 12.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि प्रार्थी को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड ट्रस्ट की गर्वनिंग काउंसिल के अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों की प्रमाणित प्रति एवं इसके बॉयलोज की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूँकि जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सिरौही एवं खनिज विभाग सिरौही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरौही नहीं है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर सिरौही

